राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 5499/2022

कैलाश चन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर डिवीजन, भरतपुर (राज.)।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.10.2022
आदेश की दिनांक : 22.11.2022

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अमित माथुर, अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खाण्डोज, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लुधावडी, जिला सवाई माधोपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 31.12.2023 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जिसमें एक वर्ष से भी कम समय शेष रहने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है जबकि दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी का दो माह में ही स्थानान्तरण कर दिया गया जबकि पहले स्थानान्तरण स्थान पर अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने नहीं दिया गया और बाद में खाण्डोज,

सवाई माधोपुर से लुधावडी, सवाई माधोपुर पदस्थापित कर दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खाण्डोज, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहां तक अपीलार्थी का सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम समय शेष रहने के बावजूद स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के अंदर ही किया गया है, जिससे आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)